श्री

(4)

पुनरीक्षण क्रं. /17–18

माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्व मंडल, म.प्र. ग्वालियर के न्यायालय में

PBR/निगरानी/खरगोन/भू.रा/2018/2040

पुनरीक्षण आवेदन पत्र– धारा 50 म.प्र.भु.रा.सं. के अंतर्गत

मोहन प्रतापसिंह पिता स्व. विजयसिंह चौहान,उम्र 39 साल,धंधा काश्त व ठेकेदारी,निवासी भीकनगॉव, जिला खरगोन

––प्रार्थी

वि रू द्ध

म.प्र.शासन तर्फे पटवारी हल्का,ग्राम सेल्दा तह.सनावद जिला ,खरगोन

––––प्रतिप्रार्थी

वाद– अतिक्रमण बाबद

श्रीमान,

हम प्रार्थी (मूल प्रार्थी) श्रीमान अपर आयुक्त महोदय इन्दौर संभाग इन्दौर के न्यायालय द्वारा प्र.कं. 0246/अपील/2017–18 में दिनांक 9–1–2018 को प्रार्थीगण की अपील को निरस्त करते हुऐ श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी राजस्व खरगोन के न्यायालय द्वारा रा.प्र. कं. 0005/अपील/17–18 में पारित आदेश दिनांक 14–11–2017 एवं श्रीमान नायब तहसीलदार साहब खरगोन के न्यायालय द्वारा रा.प्र.कं.

57/अ–68/2015–16 में पारित आदेश दिनांक 29–7–2017 स्थिर रखते हुऐ जो आदेश पारित किया उससे असंतुष्ट होकर यह पुनरीक्षण प्रस्तुत करते है, जिसे तथ्य एवं कारण –

न्यायालय, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक पीबीआर/निगरानी/खरगोन/भूरा/18/ 2040

स्थान व दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
3-4-18	आवेदक अधिवक्तागण श्रीमती स्वाति शर्मा व सुश्री प्राची पगारे द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया । अपर आयुक्त इंदौर संभाग इंदौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 9-1-2018 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । अपर आयुक्त के आदेश के अवलोकन से स्पष्ट है कि पटवारी प्रतिवेदन के आधार शासकीय भूमि पर आवेदक द्वारा दुकानों का निर्माण कर अतिक्रमण किया जाना प्रमाणित पाये जाने से तहसील न्यायालय द्वारा अतिक्रमण हटाये जाने के आदेश दिये गये हैं । अपीलीय न्यायालय में भी आवेदक द्वारा शासकीय भूमि पर किस हैसियत से काबिज है, इसका कोई समाधानकारक कारण अपील में तथा इस निगरानी में नहीं दर्शाया गया है, इसलिये अधीनस्थ न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्ष हस्तक्षेप योग्य नहीं है । अत: यह निगरानी आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है । अध्यक्ष	